राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302001)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः पीआर / डीएलबी / SBM / IEC / 2022 / 1870 दिनांक : 22/06/2022

M/s Rakesh Advertising Pvt. Ltd.,
Head Office: 404 Aakansha Opp.
Vadilal House Navrangpura, Ahmedabad-380009,

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित 2000 बसों के बैक पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किये जाने के क्रम में आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार–प्रसार के लिए विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित 2000 बसों के बैक पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किये जाने के क्रम में आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार–प्रसार के लिए एक माह के लिए विज्ञापन प्रदर्शित कराया जाना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Bureau of Outreach & Communication (Outdoor Media Wing) (DAVP), भारत सरकार के पत्रांक F.No. DC/2608192/BusPanels/2/1920 दिनांक 20.04.2022 द्वारा दिनांक 25.07.2022 तक M/s Rakesh Advertising Pvt. Ltd. की RSRTC की बसों के बैक पैनल की दरें दिनांक 25.07.2022 तक अनुमोदित की गई है एवं आपकी फर्म के पास RSRTC के Sole Right है तथा आपकी फर्म को RSRTC के बैक पैनल्स पर विज्ञापन के लिए अधिकृत किया जाकर प्रतिमाह निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैः–

Media	Location/ Type of Buses	Quanity	Display Size	Approved Rate
Back Panels (Back) in Buses of RSRTC	Rajasthan (Express and Ordinary Buses)	2000 Buses	2.5' X 4'	Rs. 1800/- per back panel per month

* GST extra, as applicable

* Vinyal printing charges extra at prevailing BOC rate i.e. Rs. 16/- per sqft.

* Panel fixing charges extra which is 100/- per panel one time

आप उक्तानुसार सलंग्न अनुमोदित डिजाईन के अनुसार एक माह के लिए DAVP दरों पर निम्न शर्तो के अध्यधीन कार्य सम्पादित करेंः–

1. प्रस्तावित विज्ञापन प्रदर्शन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Bureau of Outreach & Communication (Outdoor Media Wing) (DAVP), भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्ते लागू होंगी।
2. विनायल पेस्टिंग / फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग / फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
3. 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर प्रतिबन्धित होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. विभाग द्वारा दी गई अनुमोदन डिजाईन के अनुसार ही विज्ञापन करना होगा। एक माह बाद विज्ञापन के डिजाईन में परिवर्तन किये जाने पर संशोधित डिजाईन के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा।
5. संचालित उक्त बसों की संख्या में से वास्तविक बस के संचालन होने पर ही भुगतान देय होगा।

6. बसों पर लगाये गये विनायल का भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के डिपो के प्रबंधक (संचालन) से प्रमाणित कराकर प्रत्येक बस के फोटोग्राफ मय दिनांक व बस की नम्बर प्लेट फर्म दस्तावेज सहित भुगतान हेतु बिल निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
7. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश प्राप्त किये जाने की दिनांक से 5 दिवस में सभी 2000 बसों के पैनल्स पर फ्लैक्स लगाने का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
8. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
9. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Bureau of Outreach & Communication (Outdoor Media Wing) (DAVP), भारत सरकार के पत्रांक F.No. DC/2608192/BusPanels/2/1920 दिनांक 20.04.2022 एवं RSRTC के पत्रांक 606 दिनांक 16.07.2021 द्वारा M/s Rakesh Advertising Pvt. Ltd. की RSRTC की बैक पैनल की दरें दिनांक 25.07.2022 तक अनुमोदित की गई है। अतः यदि (DAVP), भारत सरकार एवं RSRTC द्वारा 25.07.2022 के पश्चात् अवधि नहीं बढ़ायी जाती है तो विज्ञापन का भुगतान दिनांक 25.07.2022 तक का ही देय होगा।
10. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान वांछित दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित समिति की अभिशंषा पर किया जायेगा।
11. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी, जिसके लिए निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एवं Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
12. RTPP Act 2012 /Rule 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
13. विवाद की स्थिति में निदेशक एवं संयुक्त सचिव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
14. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एंव संयुक्त सचिव

क्रमांकः पीआर/डीएलबी/SBM/IEC/2022/1871-2097 दिनांक : 22/06/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. M/s Rakesh Advertising Pvt. Ltd., Branch Office: G-1, R-15 A, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur-302001
10. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)